बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012–

संकल्प

विषयः– प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता–प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग–I से X तक अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति एवं प्रावैधिकी छात्रवृत्ति की दरों में दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से वृद्धि, वर्ष–2012–13 में छात्रवृति का भुगतान 75% उपस्थिति के आधार पर करने, पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को आर्थिक मापदण्ड के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करने तथा शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना तथा मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार छात्रवृति का वितरण किये जाने के संबंध में।

लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति की दर एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छीजन दर को देखते हुए इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्न तालिका के कॉलम–4 के अनुसार छात्रवृत्ति की दरों में दिनांक–01.04.2012 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

क्र0	योजना का नाम	वर्तमान दर	दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से संशोधित दर (12 माह के लिए)
1	2	3	4
1	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग I से IV)	रू0 15/– प्रति माह 12 माह के लिए	रू0 50/– (रूपये पचास) प्रतिमाह
2	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग V से VI)	रू0 30/– प्रति माह 12 माह के लिए	रू0 100/– (रूपये एक सौ) प्रतिमाह
3	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग VII से X)	रू0 55/– प्रति माह 12 माह के लिए	रू0 150/– (रूपये एक सौ पचास) प्रतिमाह
4	छात्रावासी (वर्ग I से X)	रू0 80/– प्रति माह 12 माह के लिए	रू0 250/– (रूपये दो सौ पचास) प्रतिमाह
5	प्रावैधिकी/तकनीकि छात्रवृत्ति	रू0 150/– प्रति माह 10 माह के लिए	रू0 500/– (रूपये पाँच सौ) प्रतिमाह

2– वर्ष 2012–13 में विद्यालय छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को भुगतान किया जायेगा जिनकी दिनांक–01 अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान उपस्थिति कम–से–कम 75% होगी।

3– पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आर्थिक आधार पर उनके माता–पिता/ अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख) से कम होने पर हीं छात्रवृत्ति देय होगी। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।

4–यह भी निर्णय लिया गया है कि प्री–मैट्रिक छात्रवृति का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा

5– बिहार राज्य के निवासी अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सभी अर्हता प्राप्त छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा।

6– विद्यालय स्तरीय छात्रवृत्ति एवं तकनीकी छात्रवृत्ति की उक्त संशोधित दर एवं उक्त सभी कंडिकाओं के संबंध में योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/ जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.11.12

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012– 53 पटना दिनांक– 12|11|2012

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12.11.12

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012– 53 पटना दिनांक– 12|11|2012

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12.11.12

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012– 53 पटना दिनांक– 12|11|2012

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखंड प्रमुख/सभी पंचायत प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

सरकार के सचिव। 12.11.12

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012– 53 पटना दिनांक– 12|11|2012

प्रतिलिपि– सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12.11.12

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–01/2012– 53 पटना दिनांक– 12|11|2012

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12.11.12